



बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद ।



ई-मेल—arms.jeh.bih@gmail.com

वेबसाइट—jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स—06114-223142

पत्रांक—

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक—

आदेश

जहानाबाद जिला अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु उपरांत उनके परिजन द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जमा करने के लिए अनुरोध किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु की तिथि	शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०, धारित शस्त्र का प्रकार एवं सं०	यू०आई०ए न०	शस्त्र जमा करने का स्थान	शस्त्र जमाकर्ता का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	रामनन्दन सिंह, पिता—स्व० कारु सिंह, ग्राम—लोदीपुर, पो०—मुठेर, थाना—कड़ौना ओ०पी०	24-04-2021	687/558/531 /1978 Dbbl Gun no- 7501165	0516400 0358509 2014	कड़ौना ओ०पी०	धनन्जय कुमार, पिता—स्व० रामनन्दन सिंह, ग्राम—लोदीपुर, पो०—मुठेर, थाना—कड़ौना ओ०पी०

अतः आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17-(3) डी० एवं आयुध नियम-2016 के नियम-47 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा संचिका सं०—III-01/16 में दिनांक—11.08.2021 को रद्द करने जमा करने की स्वीकृति दी गयी है। जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में उपर अंकित अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, एवं उपर वर्णित क्र० 1 को थाना—कड़ौना ओ०पी० में शेष सभी कारतूस सहित जमा करने का आदेश दिया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद का आदेश दिनांक—11.08.2021, संचिका सं०—III-01/16)

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद ।

ज्ञापांक—.....73...../शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक—.....12.08.2021.....

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- थानाअध्यक्ष, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- संबंधित शस्त्र जमाकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, एन०आई०सी०, जहानाबाद को जहानाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद ।